राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 11/प्रा0पत्र/2024 — दायरा दिनांक :– 22.01.2024

GCMS ID–2024/70

1. प्रहलाद आ0 लछमन जाति मीणा निवासी स्वरूपगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. रामगोपाल आ0 लछमन जाति मीणा निवासी स्वरूपगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. रामरतन आ0 लछमन जाति मीणा निवासी स्वरूपगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाशी देवी पत्नी प्रहलाद जाति मीणा निवासी स्वरूपगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
2. सुमित्रा देवी पत्नी रामगोपाल जाति मीणा निवासी स्वरूपगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत

वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन

वकील अप्रार्थीगण :– एक पक्षीय कार्यवाही

दिनांक :– 28/03/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता संख्या 59 खसरा संख्या 844/139 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा संख्या 845/145 रकबा 0.3561 हैक्टेयर, खसरा संख्या 846/140 रकबा 0.1295 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.6070 हैक्टेयर वाके ग्राम स्वरूपगढ पटवार मण्डल रोशन्दा तहसील हिण्डोली में विस्थित है, उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जिस पर प्राथी निरन्तर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहे है। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि में आने जाने हेतु एक रास्ता सिवायचक भूमि खसरा संख्या 142 से होकर अप्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 140 में होकर प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर आते जाते है, जिसकी चोडाई15 फिट है, उक्त रास्ते पर प्रार्थीगण सदियों से आते जाते है एवं अपने ट्रेक्टर, ट्रॉली व कृषि उपकरण आदि उक्त रास्ते से ले जाता आ रहे है, परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण के सामने विभिन्न प्रकार की समस्याऍ आ रही है। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

के कारण अप्रार्थी उक्त रास्ते को बन्द करने पर आमादा है, जबकि उक्त रास्ता वर्तमान में भी मौजूद है इसलिए प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त भूमि पर आने जाने हेतु भुमि खसरा संख्या 142 व 140 पर 15 फिट चोडे रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थीगण को अपने खेतो तक आने जाने हेतु 251 ए आर0टी0एक्ट0 में तहसीलदार साहब से निवेदन किया था परन्तु उनके द्वारा उपखण्ड न्यायालय में कार्यवाही किये जाने की कहने पर प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। प्रार्थीगण की खाते की भूमि ग्राम स्वरूपगढ तहसील हिण्डोली में विस्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 844/139 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा संख्या 845/145 रकबा 0.3561 हैक्टेयर, खसरा संख्या 846/140 रकबा 0.1295 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.6070 हैक्टेयर वाके ग्राम स्वरूपगढ पटवार मण्डल रोशन्दा तहसील हिण्डोली में आने जाने हेतु ग्राम स्वरूपगढ में स्थित खसरा संख्या 142 सिवायचक से हाकर भूमि खसरा संख्या 140 अप्रार्थी के खाते की जमीन में होकर 15 फिट चोडा रास्ता घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड स्वरूपगढ में दर्ज करने के आदेश फरमावे अन्य न्यायोचितइ सहायता जो भी सुलभ हो प्रार्थीगण को प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद तामिलों में अनुपस्थित रहने व जबाव पेश नहीं करने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। तहसीलदार हिण्डोली की ओर से पत्रांक :—राजस्व/24/393 दिनांक :—12.02.2025 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 844/139, 845/145, 846/140 वाके ग्राम स्वरूपगढ पटवार मण्डल रोशन्दा में आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 140 जो कि अप्रार्थीगण की खातेदारी में है व खसरा संख्या 142 जो कि राजकीय सिवायचक भूमि है, में से 15 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। खसरा संख्या 304 व 305 जो कि राजकीय सिवायचक भूमि है उस पर पूर्व में ही कदीमी रास्ता विद्यमान होने से उक्त खसरा संख्या मे रास्ते की घोषणा नहीं की जावे। इस बाबत तहसीलदार हिण्डोली द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है उसमें से खसरा संख्या 304 व 305 में प्रस्तावित रास्ते को छोडकर शेष प्रस्तावित रास्ते की घोषणा की जावे। प्रार्थी इस बाबत राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

संख्या 140 जो कि अप्रार्थीगण की खातेदारी में है व खसरा संख्या 142 जो कि राजकीय सिवायचक भूमि है, में से 12 फीट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। खसरा नम्बर 140 से आगे रास्ता मौके पर कच्चा विद्यमान है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 59 के खसरा संख्या 844 / 139, 845 / 145, 846 / 140 वाके ग्राम स्वरूपगढ पटवार मण्डल रोशन्दा में आने–जाने हेतु तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम स्वरूपगढ के खसरा नम्बर 140 जो कि अप्रार्थीगण की खातेदारी में से 12 चौडा व 60 मीटर लम्बा (0.0024 हैक्टेयर) व खसरा संख्या 142 जो कि राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज है मे से 180 फीट लम्बा व 12 फीट चौडे रास्ते में (0.0072 हैक्टेयर) भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी राशि 850000 / रू– प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि खसरा संख्या 140 में से रकबा 0.0024 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 2040 / रू– जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 4080 / रू– का भुगतान सम्बन्धित अप्रार्थी खातेदारान को व भूमि खसरा संख्या 142 में से रकबा 0.0072 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 6120 / रू– जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 12240 / रू– का भुगतान सम्बन्धित राजकीय मद में जमा करवाने उपरान्त निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्र हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :– 28.03.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

28/03/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली